न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 10 / 2020 (अपील)

1. रामकल्याण आत्मज रोडूलाल जाति धाकड निवासी मोडक गांव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. रोडूलाल आत्मज जगन्नाथ
2. सुहाग बाई पत्नि रोडूलाल
3. बजरंगलाल आत्मज रोडूलाल जाति धाकड़ निवासीगण मोडक गांव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 26.11.2019 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, उनवान रोडूलाल बनाम रामकल्याण व अन्य प्रकरण सं0 1182/2019 अन्तर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट वास्ते भरण पोषण राशि दिलाये जाने

निर्णय

दिनांकः– 29 /01/2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी, द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 26.11.2019 से प्रार्थी रोडूलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को 1000/– अपने पिता रोडूलाल को एवं 1000/– अपनी माता सुहागबाई को बतौर भरण पोषण अदा करने के आदेश दिया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 09.01.2020 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 नं0 1 रोडूलाल जी स्वयं के नाम व अन्य सह खातेदार के शामलाती खाते में एवं रेस्पो0 नं0 2 के नाम ग्राम मोडक में कृषि भूमि स्थित चली आ रही थी, जिसे रेस्पो0 नं0 1 रोडूलाल व रेस्पो0 नं0 2 सुहाग बाई ने अपने दूसरे पुत्र बजरंगलाल रेस्पो0 नं0 3 के नाम व उसकी पत्नि गोकुल बाई के नाम बेनामी विक्रय पत्र तहरीर कर उनके खाते दर्ज करवा दी ओर अपीलान्ट जो कि रेस्पो0 नं0 1 व 2 का पुत्र है उसको कोई भूमि नहीं दी । इस प्रकार रेस्पो0 नं0 1 व 2 ने अपीलान्ट को अपनी सम्पत्ति से दूर रखा और झूंठे तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश कर दिया जिसे उक्त आधार पर खारिज करना चाहिये था ऐसा न कर स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अपीलान्ट के नाम पर कोई भूमि नहीं है और अपीलान्ट मजदूरी करता है तथा अपनी पत्नि व बच्चों का भरण पोषण भी बमुश्किल कर पा रहा है इस अहम तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 नं0 1 व 2 को अपीलान्ट से 1000/–1000/– प्रतिमाह भरण पोषण दिलाये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है ।

3. अतः अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जावें । अपीलान्ट स्वयं उपस्थित । अपीलान्ट को सुना गया ।

4. अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि उनके माता पिता कमश रेस्पो0 नं0 1 व 2 के नाम पूर्व में ही कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है तथा भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट जो कि रेस्पो0 नं0 1 व 2 का पुत्र है उसको कोई भूमि नहीं दी, अपीलान्ट तय की गई भरण पोषण राशि अदा करने में सक्षम नहीं है । अपीलान्ट ने रेस्पो0 को शारीरिक व

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

मानसिक रूप से प्रताडित व अपमानित नहीं किया है बल्कि स्वयं रेस्पो0 नं0 1 व 2 ने अपनी सम्पत्ति से अपीलान्ट को महरूम कर रखा है । रेस्पो0 द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया गया जिसे बिना जांच पड़ताल किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.11.2019 निरस्त फरमाया जावें ।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया व पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं के नाम की भूमि कुल 2.89 हे0 भूमि अपने पुत्रों रामकल्याण एवं बजरंगा उर्फ बजरंगलाल के नाम कर रखी है । तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार रेस्पोडेन्ट बीमार रहते है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट पुत्र का दायित्व है कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 1000/– पिता रोडूलाल को व 1000/– माता सुहाग बाई को बतौर भरण पोषण राषि प्रतिमाह अदा करने के आदेश दिये गये है, जिसमें कोई अनुचित नहीं है तथा उक्त राशि अधिक भी नहीं है, तथा अपीलान्ट भी भूमिधारी है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन प्रतीत होती है ।

6. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.11.2020 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अमित कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner